BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 43 of 2025

<u>IN THE MATTER OF</u>:

DUSHYANT ROHTA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

<u>INDEX</u>

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 05.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 20.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	
4.	COPY OF PHOTOGRAPHS OF DEMOLITION DRIVE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 15.09.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 43 of 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ....**RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, ...Vikas Kumar... aged about ..42.. years S/o Sh. Dhanesh Kumar..., presently posted as Executive Engineer, Meerut division Ganga Canal do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the applicant has alleged encroachment on the land of the water body and that Krishna World Colony at Meerut is being unauthorizedly constructed on a public water drain at gata no. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh and irrigation canal gata no. 47, 48 and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh. That the plea of the applicant is that public water drain and irrigation canal have been encroached upon while developing the residential colony.

4. That affidavit dt. 07.05.2025 has already been filed on behalf of the deponent before this Hon'ble Tribunal.

5. That it is further pertinent to state that the District Magistrate, Meerut vide letter dt.05.05.2025 has designated the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar, Meerut as Magistrate-in-charge and directed to provide adequate police force to the Department.

A Copy of the letter dt. 05.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

II. DEMOLITION ACTIONS UNDERTAKEN

6. That pursuant thereto, the Office of the Executive Engineer, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut, vide dated 20.05.2025 has instructed the Assistant Engineer-IV, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut, to remove the illegal culverts (Pulia) constructed by the colonizer with the assistance of administration and police force.

   A Copy of the letter dt. 20.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

7. That accordingly, the Assistant Engineer-IV, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut, contacted the Sub-Divisional Magistrate, Meerut, and requested to fix a date for demolition of the illegal culverts (Pulia). However, due to the commencement of Kanwar Yatra during the months of June and July (Shravan month), considering the law-and-order situation, action could not be taken at that time.

8. That subsequently, for removal of the said encroachments, the Sub-Divisional Magistrate, Meerut, fixed 28.08.2025 as the date for demolition. However, due to non-availability of police force, demolition

could not be carried out on 28.08.2025 as well. Thereafter, upon further discussions with the Sub-Divisional Magistrate, Meerut, the date of 04.09.2025 was fixed for the demolition.

9. That on the scheduled date i.e. 04.09.2025, the departmental team, along with the, Tehsildar, Naib Tehsildar, Tehsil Sadar, District Meerut, and Circle Officer (Police), Daurala, District Meerut, led by the Station House Officer, Police Station Kankerkhera, along with police force, reached the site for demolition of the illegal culverts (Pulia).

10. The departmental team commenced the demolition of the illegal culverts constructed at km. 26.855 of Rajwaha Chapsalava and km. 3.130 of Nala Pathanpura through breaker/JCB machine. That at that time, the colonizer, along with local people, strongly opposed the demolition drive by disturbing law & order situation and produced certain legal documents pertaining to the culverts (Pulia) / the said site before the Tehsildar and the departmental team.

The photographs of the demolition drive have been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

11. Therefore, after examination of the legal documents submitted by the colonizer before the administrative authorities and upon due deliberation

with the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar, Meerut, it has been proposed that the demolition of the illegal culverts (Pulia) shall be carried out shortly with administrative support.

12.That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

13.Hence, the presentresponseis being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

NOTARY

12/9/2025

आस मुहम्मद सैफी
एडवोकेट
रजि० नं० 9958/2009
मो० 9761129282

VERIFICATION

Verified at Meerut on this 12 day of ~~May~~ Sep. 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY (INDIA) ★ UTTAR PRADESH GOVT. OF ★ NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Office Meerut Reg. No. 6360 01/03/95

DEPONENT

Certified that Vikas Kumar S/o Shri Dhanesh Kumar Resident of Ex. Engg. Meerut Division Meerut Agra Mohd. Saifi Adv. Sworn the contents of the affidavit on oath before NAROTTEM KUMAR GARG Advocate ... deponent Attested

NOTARY

12/9/2025

आस मुहम्मद सैफी एडवोकेट
रजि० नं० 9958/2009
मो० 9761129282

ANNEXURE R-1

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MEERUT.

पत्रांक /सात–डीएलआरसी/2025 दिनांक –05–2025

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

कृपया अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगानहर, मेरठ के पत्र संख्या 5916/मेखगनमें/अतिक्रमण दिनांक 5–2–2025, पत्र संख्या 2254/मेखगनमें/अतिक्रमण दिनांक 29–4–2025 एवं पत्र संख्या 2259/मेखगनमें/अतिक्रमण दिनांक 30–4–2025 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 43/2025 दुष्यन्त सेहटा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है (प्रति संलग्न)।

उक्त अतिक्रमण हटाऐ जाने हेतु आपको नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ उपस्थित रहते हुए पर्याप्त पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों सहित अतिक्रमण हटवाने में अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगानहर, मेरठ को अपना सहयोग प्रदान करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

प्रतिलिपि–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान मौके पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल मय महिला पुलिसकर्मियों सहित उपलब्ध करवाने का कष्ट करें साथ ही उप जिलाधिकारी, मेरठ के साथ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को उपस्थित रहने के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– अपर जिलाधिकारी–प्रशासन, मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

3– अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगानहर, मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

ANNEXURE R-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
मे0ख0 खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
Office of the Executive Engineer
Meerut Division Ganga Canal,
Meerut

उत्तर प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

सिविल लाईन, बाउन्ड्री रोड,
मेरठ–250001
Civil Line Boundary Road, Merut-250001
Phone No-0121-2663598
Email id- eemdgcmrt@gmail.com

पत्रांकः 2688/मेखंगंनमे/ दिनांक 20/05/2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 43/2025 दुष्यन्त रोहटा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ का पत्रांक 1545/सात–डीएलआरसी/2025, दिनांक 05.05.2025

सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त विषयक आपको निर्देशित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ एवं कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से सम्पर्क कर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों सहित अतिक्रमण हटवाकर जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब मान्य नही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खंड, गंगा नहर
मेरठ

पत्रांकः ______ /मेखंगंनमे/तदिनांक ______।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
2– उपराजस्व अधिकारी–प्रथम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

ANNEXURE R-3

<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या ओ0ए0 सं0–43/2025 श्री दुष्यन्त रोहटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:–</u>

<u>अद्यतन स्थिति</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या ओ0ए0सं0–43/2025 श्री दुष्यन्त रोहटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिवादी संख्या–1 प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रतिवादी संख्या–2 अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ की तरफ से प्रतिशपथ पत्र दिनांक 07.05.2025 को दाखिल किया जा चुका है। वर्तमान में अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही निम्नानुसार है।

प्रश्नगत प्रकरण में कोलोनाईजर द्वारा निर्मित अवैध पुलिया हटाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के पत्र संख्या–1545/सात–डी0एल0आर0सी0/2025 दिनांक 05.05.2025 द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, मेरठ को मजिस्ट्रेट नामित किया गया एवं विभाग को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। **(संलग्नक–1)** उक्त पत्र के कम में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ ने अपने पत्र संख्या–2688/दिनांक 20.05.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को प्रशासन एवं पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत अवैध पुलिया हटाने हेतु निर्देशित किया गया। **(संलग्नक–2)** तत्कम में कोलोनाईजर द्वारा निर्मित अवैध पुलिया हटाने हेतु सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से सम्पर्क कर ध्वस्तीकरण हेतु तिथि निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया। माह–जून एवं जुलाई के श्रावण मास में कावड़ यात्रा प्रारम्भ होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिगत तत्समय कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। तत्पश्चात् उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 28.08.2025 तिथि निर्धारित की गयी। परन्तु कतिपय कारणो से पुलिस बल उपलब्ध न हो पाने के कारण दिनांक 28.08.2025 को भी अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। तदोपरान्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से पुनः वार्ता करने पर उनके द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु दिनांक 04.09.2025 की तिथि निर्धारित की गयी। निर्धारित तिथि 04.09.2025 को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद मेरठ एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी दौराला, जनपद मेरठ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष, थाना कंकरखेड़ा मय पुलिस फोर्स के विभागीय टीम अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण हेतु मौके पर पहुंचे।

जब विभागीय टीम द्वारा राजवाहा चपसलावा के किमी0 26.855 एवं नाला पठानपुरा के किमी0 3.130 पर निर्मित अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही ब्रेकर/जे0सी0बी0 मशीन के माध्यम से प्रारम्भ की गयी **(संलग्नक–3 फोटोग्राफ)**, तब कौलोनाइजर द्वारा क्षेत्रीयं व्यक्तियों के साथ पुलिया तोड़ने की कार्यवाही का भारी विरोध किया गया एवं पुलिया/प्रश्नगत स्थल से सम्बन्धित विधिक अभिलेख तहसीलदार सदर व विभागीय टीम के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अतः कोलोनाईजर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विधिक अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त एवं उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील सदर, मेरठ से विचार–विमर्श के पश्चात प्रशासनिक सहयोग से अवैध पुलियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित हैं।

10.09.25
सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

10/09/25
अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर
मेरठ

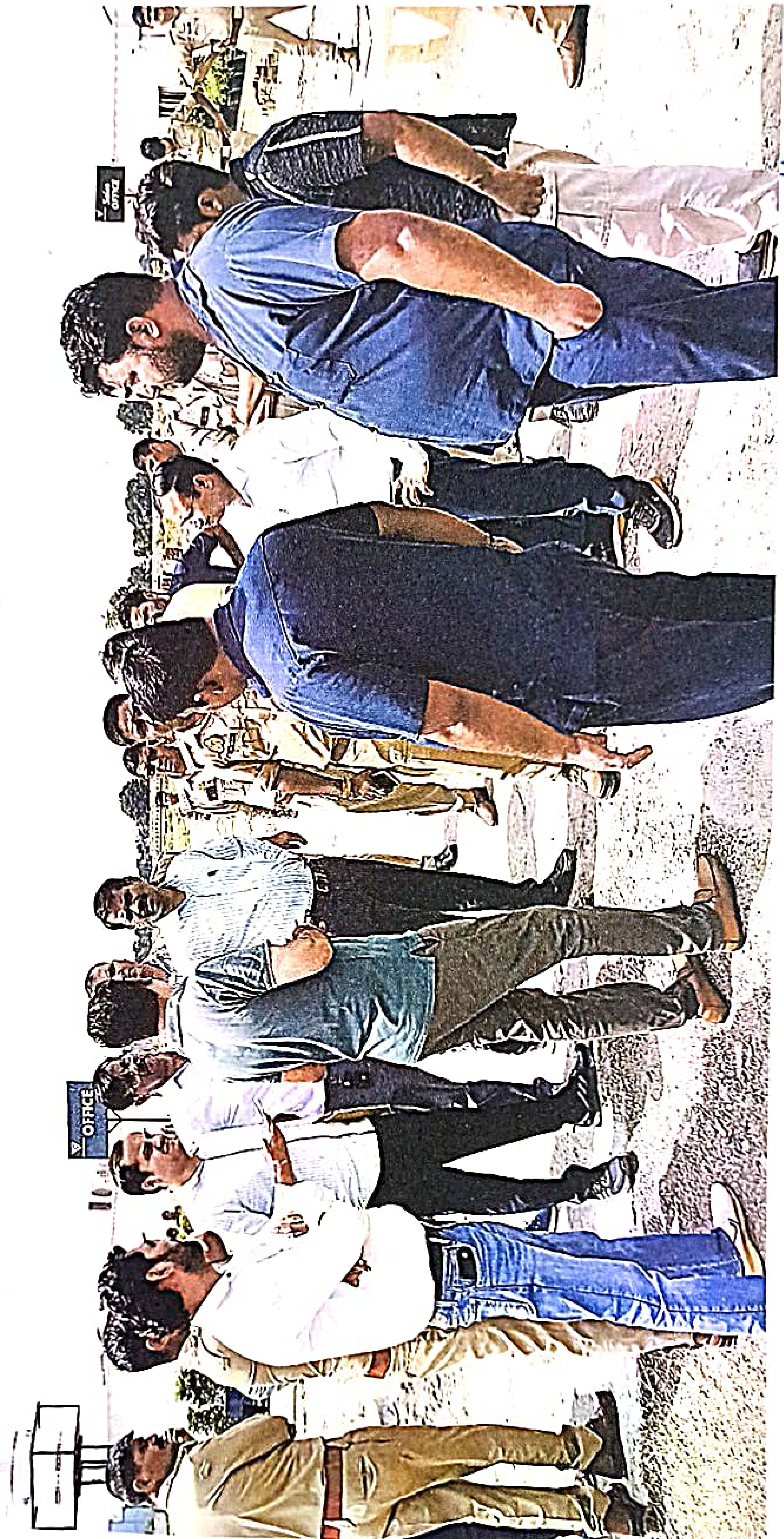
OFFICE

संलग्नक R-3